भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *266
जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है।
20 फाल्गुन, 1947 (शक)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले खिलौनों का बच्चों पर प्रभाव

***266. डॉ. सी.एम. रमेश :**

क्या इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले खिलौनों के साथ बच्चों के अपने साथी के रूप में जुड़ाव के परिणामस्वरूप उन पर पड़ने वाले दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है या किए जाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) बच्चों के साथ यौन वार्तालाप को बढ़ावा देने, उनमें हिंसक व्यवहार की प्रवृत्ति को उकसाने या उनको स्पष्ट तथा वयस्क सामग्री प्रदान करने वाले एआई से चलने वाले खिलौनों के आयात और बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए लागू किए गए नियामक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एआई से चलने वाले खिलौनों द्वारा संगृहीत किया गया व्यक्तिगत डेटा डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के दायरे में आता है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार की इस तरह के डेटा संग्रह को विनियमित करने की कोई योजना है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(घ)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले खिलौनों का बच्चों पर प्रभाव के संबंध में दिनांक 11.03.2026 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *266 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

****

(क) से **(घ):** भारत की एआई रणनीति प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत केंद्रित चुनौतियों का समाधान करना, अवसर पैदा करना और अंततः नागरिकों के जीवन में सुधार करना है।

साथ ही, सरकार एआई और संबंधित प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान के प्रति सचेत है।

बच्चों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कानूनी सुरक्षोपाय किए गए हैं:

1. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000

आईटी अधिनियम, 2000 और आईटी नियमों के तहत मध्यस्थों (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) को ऐसी सामग्री को होस्ट करने या साझा करने से रोकने की आवश्यकता होती है जो बच्चों के लिए हानिकारक है, जिसमें ऐसी सामग्री भी शामिल है जो यौन रूप से स्पष्ट है या हिंसा को बढ़ावा देती है।

प्लेटफ़ॉर्मों को सरकार या अदालत के आदेश द्वारा अधिसूचित किए जाने के 3 घंटे (गैर-सहमति वाली यौन/अंतरंग सामग्री के लिए 2 घंटे) के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाना होगा।

प्लेटफॉर्म भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 जैसे कानूनों के तहत संबंधित अपराधों के बारे में उपयुक्त अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए भी बाध्य हैं।

2. बच्चों के डेटा का संरक्षण (डीपीडीपी अधिनियम, 2023)

डिजिटल वैयिक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और नियमावली, 2025 में एआई-संचालित खिलौनों सहित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से एकत्र किए गए वैयिक्तिक डेटा को शामिल किया गया है।

अधिनियम में किसी बच्चे के किसी भी वैयिक्तिक डेटा को संसाधित करने से पहले उसके माता-पिता या वैध अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति को अनिवार्य करके बच्चों के वैयिक्तिक डेटा के प्रसंस्करण के लिए विशेष सुरक्षोपायों का प्रावधान किया गया है।
नियमावली में माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करने के लिए परिचालन तंत्र निर्धारित विहित किए गए हैं, जिसमें पहचान और आयु सत्यापन उपाय और वर्चुअल टोकन का उपयोग शामिल है।

अधिनियम और नियमावली में बच्चों पर लक्षित ट्रैकिंग, व्यवहार की निगरानी या लक्षित विज्ञापन को निषिद्ध किया गया है।

3. सर्ट-इन नियमित रूप से बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपायों के बारे में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल पर सुरक्षा, सुरक्षा युक्तियाँ और जागरूकता पोस्टर, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो आदि साझा करता है।

4. सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं और संवेदनशील वैयिक्तिक डेटा या सूचना) नियमावली, 2011, (एसपीडीआई नियम)

इन नियमों के लिए संगठनों को केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए वैयिक्तिक डेटा एकत्र करने, इसे साझा करने से पहले सहमति प्राप्त करने और गोपनीयता नीतियों को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। संवेदनशील वैयिक्तिक डेटा प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए और इसे तीसरे पक्षकार द्वारा आगे प्रकट नहीं किया जाना चाहिए।

5. इंडिया एआई अभिशासन दिशानिर्देश

ये दिशानिर्देश मानव-केंद्रित और जिम्मेदार एआई विकास को बढ़ावा देते हैं। यह माना जाता है कि बच्चे एक सुभेद्य समूह का गठन करते हैं जिसे एआई प्रणाली से जोखिम और दीर्घकालिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
दिशानिर्देशों में नीति निर्माताओं को एआई सिस्टम से वास्तविक दुनिया के जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने और उचित अभिशासन प्रतिक्रियाओं को डिजाइन करने में मदद करने के लिए जोखिम मूल्यांकन ढांचे और एआई से संबंधित नुकसान की निगरानी करने की सिफारिश की गई है।

6. खिलौनों की सुरक्षा और हानिकारक सामग्री के लिए नियामक ढांचा

भारत में खिलौनों को खिलौना गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और बीआईएस मानकों का अनुपालन करना चाहिए, जबकि बच्चों से जुड़ी हानिकारक या स्पष्ट सामग्री को आईटी अधिनियम, आईटी नियमों और पॉक्सो अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है।

7. सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए)

सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन सृजित करने और साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

अब तक, देश भर में 4,309 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिसमें स्कूल/कॉलेजों के छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन, सरकारी कर्मियों और आम जनता सहित 9.63 लाख से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। स्कूली बच्चों और छात्रों के लिए 3.38 लाख प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 1,186 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

1.13 लाख स्कूल शिक्षकों, पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवकों को 66 कार्यक्रमों में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 15 करोड़ अनुमानित लाभार्थियों को अप्रत्यक्ष मोड के माध्यम से शामिल किया गया है।

8. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा किए गए अध्ययन:

एनसीपीसीआर ने 2021 में "बच्चों द्वारा इंटरनेट पहुंच के साथ मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों के उपयोग के प्रभाव (शारीरिक, व्यावहारिक और मनो-सामाजिक)" पर एक अध्ययन किया है। अध्ययन

रिपोर्ट नीचे दी गई लिंक पर उपलब्ध है:
https://ncpcr.gov.in/uploads/165650458362bc410794e02_effect1.PDF

इसके अतिरिक्त, एनसीपीसीआर ने साइबर सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा पर निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए हैं:

- बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश और मानक सामग्री "बीइंग सेफ ऑनलाइन" नीचे दी गई लिंक पर उपलब्ध है:
https://ncpcr.gov.in/public/uploads/16613370496305fdd946c31_being-safe-online.pdf
- स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा संबंधी नियमावली में शामिल करने के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश नीचे दी गई लिंक पर उपलब्ध हैं_guidline.pdf
https://ncpcr.gov.in/uploads/16613369326305fd6444e1b_cyber-safety
- बदमाशी और साइबर बदमाशी की रोकथाम के लिए स्कूलों के लिए दिशानिर्देश नीचे दी गई लिंक पर उपलब्ध हैं:https://ncpcr.gov.in/uploads/1714382687662f675fe278a_preventing-bullyingandcyberbullying-guidelines-for-schools-2024.pdf

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने "कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा" पर एक पुस्तिका भी जारी की है। हैंडबुक https://ncert.nic.in/pdf/announcement/Safetolearn_English.pdf पर उपलब्ध है।

9. साइबर अपराधों के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त उपाय:

समन्वित तरीके से ऐसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए तंत्र को और मजबूत करने हेतु सरकार ने निम्नलिखित सहित कई अन्य उपाय भी किए हैं:

- गृह मंत्रालय (एमएचए) बच्चों के खिलाफ अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ नागरिकों को सभी साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) संचालित करता है।
- बाल यौन शोषण सहित साइबर अपराध के खिलाफ समन्वित और व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना की गई है।
- साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और पुलिस, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण के लिए महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध निवारण योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- सरकार समय-समय पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएमए) वाली वेबसाइटों को इंटरपोल से प्राप्त जानकारी के आधार पर ब्लॉक करती है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से परिचालित की जाती है।
- इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (यूके) और प्रोजेक्ट अरचिन्ड (कनाडा) जैसे वैश्विक डेटाबेस का उपयोग करके सीएसएमए वेबसाइटों को गतिशील रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है।
- आईएसपी को यह भी सलाह दी गई है कि वे माता-पिता के नियंत्रण फिल्टर को बढ़ावा दें और अंतरराष्ट्रीय गेटवे के माध्यम से पहचानी गई सीएसएमए वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करें।
- साइबर सुरक्षा पर @साइबर दोस्त, रेडियो अभियान और छात्रों और किशोरों के लिए हैंडबुक के प्रकाशन जैसी पहलों के माध्यम से जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है।

एनसीआरबी (एमएचए) और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी), यूएसए के बीच समझौता ज्ञापन किया गया है। यह ऑनलाइन बाल यौन शोषण पर टिपलाइन रिपोर्ट साझा करने में सक्षम बनाता है, जिसे त्वरित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रसारित किया जाता है।

******